Registered with A/D
(निबंधित प्राप्ति रसीद सहित)
BR/-./2.5.8.3.. ... .

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER,
BIHAR
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय
Bhawishya Nidhi Bhawan
भविष्य निधि भवन
Road No. 6 R. Block, Patna-800 001.
रोड नं० ६ आर० ब्लाक, पटना-800 001

No. BR/Coverage/SRO/RNC/EB-5/10583/98/895 Date the 24.12.98
संख्या बी० आर०/व्याप्ति/ दिनांक

To,
सेवा में,

M/s मेसर्स Egmech Engg. Private Limited
Bariyatu Namkum
Ranchi

Sub : Applicability of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder to M/s Egmech Engg. Private Limited ... ...
... Bariyatu, Namkum, Ranchi ... ...

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों का मेसर्स... ... ...
... ...पर लागू होना।

Sir,
महोदय,

On the basis of particulars furnished by you on ... NIL ... ... and on the basis of the inspection of the records of your establishment conducted by the Provident Fund Inspector on... ...16.12.98 ... ... it is evident that :

आपके द्वारा दिनांक... ... ... को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा ... ... को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :

(a) Your establishment/factory viz. M/s Egmech Engg. Pvt. Ltd. Ranchi ... ...is engaged in Electrical, Mechanical & General Engg. ... which is included in Schedule 1/classes of establishments in Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act., 1952.

(क) आपकी स्थापना/फैक्ट्री अर्थात् मेसर्स... ... ... कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में ... कार्य में लगी हुई है।

(b) that the said establishment/factory has employed... ... ... 22 ... ... persons on ... ... 4.8.98... ... .

(ख) उक्त स्थापना/फैक्ट्री में दिनांक... ... ...को... ... ... व्यक्ति कार्यरत हैं।

(c) that it has completed the infancy period in terms of provisions of Sec. 16 (1) (b) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 of 5/3 years on .. .. therefore, the provisions of the E. P. F. and Misc. Provisions Act., 1952 and the Scheme framed thereunder are applicable to your above named establishment together with head office and its branches/departments weather situated at the same places or at different places with effect from... ... 1.12.98... .. finally/provisionally, subject to further verification of your records for the earlier period.

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16(1) (ख) के उपबन्धों के अंतर्गत को 5/3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अत: कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर है .. ..तारीख से स्थायी-अस्थायी रूप से लागू है, इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकार्डों की जांच अभी की जाएगी।

With reference to your application No... ... ... dated .. ..received for extension of E. P. F. & Misc. Provisions Act. 1952 under Section 1(4) of the said Act. on a voluntary Basis a code No. is hereby alloted to your establishment namely ... ... provisionally covering your establishment with effect from ... ... — ... pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by subsection (4) of Section 1 of the E. P. F & Misc. Provisions Act. 1952.

अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपसे प्राप्त आवेदन पत्र संख्या .. .. दिनांक .. ..के संदर्भ ... ...में आपकी स्थापना अर्थात् .. .. को कोड संख्या .. ..एलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से ... ... लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर लेती।

The Code No. BR/RH/10583 is alloted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the E. P. F. & Misc. Provisions Act. 1952 and the Schemes framed thereunder namely E P. F. Scheme, 1952, E. F. Pension Scheme, 1971 and Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 This code No. should invariably by quoted in all the correspondences with this office.

2 आपकी स्थापना को कोड नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात् भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना

1 98%

The contribution payable by the employer shall be at the rate ~~8.33%/10%~~ of basic wages dearness allowance (including cash value of any food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर मूल वेतन, महंगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत को नकद मूल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 8.33%/10% की दर से प्रतिमाह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा देय दर के समान होगी।

1. the contribution shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. payable during the whole month whether paid on daily, weekly fortnightly or monthly basis.

(i) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि, चाहे दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।

2. each contribution shall be calculate to the nearest rupee i.e. 50 paise or more to be counted at the next higher rupee, and fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored.

(ii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को नजदीकी रुपए में अर्थात् 50 पैसा या अधिक को एक रुपए में तथा 50 से कम पैसे को छोड़कर की जायेगी।

3. for the purpose of calculation of contribution, the wages may be round off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

(iii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम की गणना नहीं की जाएगी।

Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separated challans in the following manner :—

(a) E. P. F. contribution	To be deposited in E.P.F. A/c. No. 1
(b) Administrative charges	To be deposited in E.P.F. A/c No. 2 @ 1.10 %
(c) ~~Family~~ Employees Pension Scheme	To be deposited in Employee's ~~Family~~ Pension Scheme A/c. No. 10 @ 8.33%. Should be diverted from the Employee's Share.

4. सदस्य को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटें और अपने अंशदान यथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में संबंधित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें :—

(क) क०भ०नि० अंशदान	क०भ०नि० लेखा सं० 1 में जमा कराया जाए।
(ख) प्रशासकीय प्रभार	क०भ०नि० लेखा सं० 2 में जमा कराया जाए।
(ग) प० पेंशन अंशदान	क०प०पें० लेखा सं० 10 में जमा कराया जाए।

Note : (i) The rate of administrative charges is 0.65% subject to a minimum of Rs 5/- w.e.f. 1-10-86 of pay, basic wages, dearness allowance including cash value of any food-concession and retaining allowance, if any.

(II) It may be noted that if timely deductions are not made from the member wages, the employer will have to pay both the shares himself, as the recovery of arrear contributions for the back period from the subsequent wages of the employees' is prohibited except when such recovery could not be made at the appropriate time due to accidental mistake or clerical error.

(ii) कृपया इस बात को नोट किया जाय यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करनी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़कर जहां ये वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकी।

(III) The Family Pension Scheme will be applicable from prospective date i.e. 1st of the month of issue of this coverage notice.

(iii) परिवार पेंशन स्कीम पिछली तिथि अर्थात् इस कवरेज नोटिस के जारी होने के माह की पहली तारीख से लागू होगी :

(IV) Besides making deposits in account number 1, 2 and 10 as explained above, you are also required to deposits the contributions and Adm. Charges in account No. 21 and 22 under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

(iv) उल्लिखित लेखा संख्या 1, 2, और 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(1) Deposit-Linked Insurance Fund A/c No. 21 — To this account will be deposited the contributions @ 0.5% which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowance if any, payable to the employees, by employer.

(i) निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा संख्या 21 — इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, महंगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य में खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि का 0.5% होगा।

(2) Regional Insurance Fund Administrative A/c No. 22 — To this account will be deposited the administration charge @ 0.01% (subject to minimum Rs. 2) which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession and retaining allowance, if any, payable to the employees by an employer.)

(2) क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22 — इस लेख में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन, महंगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य संबंधी रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, कुल राशि का 0.01% होगा तथा न्यूनतम 2/- रुपये होगा।

The deposit in the above accounts viz., 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challans and triplicate copies of the challans as received from the Bank, should be forwarded to this office duly attached with form No. 12 A (Revised) (explained below)

उपरोक्त लेखों अर्थात 1, 2, 10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चलानों के माध्यम से जमा कराई [illegible] संख्या 12 (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ

You are required to maintain/forward the following returns :—

6. आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें :—

(i). Form No. 9 under the E.P.F. Scheme 1952 & ~~Form No. 3 (F.P.F.) under the E. P. Scheme. 1971.~~/1995.	There are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date the factory/ establishment is covered under the Scheme.
(1) क. भ. नि. स्कीम 1952 के अंतर्गत फार्म सं० 9 तथा कु. पं. स्कीम, 1971 के अंतर्गत फार्म सं० 3 (प. पं. निधि)	ये रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के संबंध में इस कार्यालय को केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्ट्री,स्थापना को स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए है।
(2) Form No. 2 under the E.P.F. ~~Scheme 1952 and also under the~~ E. P. Scheme. ~~1971~~. 1995.	These are to be obtained in duplicate from every member for submission to th[?] office
(2) क. भ. नि स्कीम और कु. प्रे. निधि के अंतर्गत फार्म स० 2 संशोधित	ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते है।
(3) Form No. 5-A	This is to be submitted to this office in duplicate. Any subsuquent changes in ownership is also to be notified to this office through this form.
(3) फार्म संख्या 5-क	ये दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
(4) Form No. 3-A	This is to be maintained at the factory establishment In respect of every employee who is a member in which the contribution paid to the P.F. are to be posted every month.
(4) फार्म संख्या 3-क	ये फार्म प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी संबंधित फार्म है जिसे फैक्ट्री स्थापना … रखा जाना चाहिए इस फार्म में भ. नि. में किए गए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्टी करना होता है।
(2) Form No. 6-A	This is the annual return of contribution and is to be submitted to this office within 30 days of close of the financial year, along with form/3-A (Last contribution to be show for Feb. payable in March each year.)
(5) फार्म संख्या 6-क	यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3-क के साथ फरवरी माह से संबंधित अंतिम, अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च में अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए।) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।
(6) Form No. 12-A	This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th of every following month Triplicate copies of the challans in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(6) फार्म सं० 12-क

यह अंशदान का रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा की गई राशि से सम्बन्धित चालान की तीन प्रतियां इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।

(7) Form No. 5 & 10

These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 15th of the following months.

(7) फार्म सं० 5 और 10

यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

All the forms prescribed under the Employees Provident Fund Scheme 1952, the ~~Family~~ Employees Pension ~~Fund~~ Scheme ~~1971~~ 1995, and the Deposit Linked Insurance Scheme 1976, are available in the P.F. Office and will be supplied free of cost on receipt of your indent. The specimen of forms are enclosed.

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 कुटुम्ब पेंशन निधि स्कीम, 1971 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें निशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

Regarding ~~Family~~ Employees Pension ~~Fund~~ Scheme contributions, it should be separated from the Employees' Provident Fund Contributions and shown separately in the respective Forms and remitted separately in Account No. 10, from the month of... ...12/95... ... ... only.

8. कुटुम्ब पेंशन निधि अंशदान के सम्बन्ध में इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्म में अलग से दिखाकर... ... ... केवल इस माह से लेखा सं० 10 में जमा कराया जाना होता है।

As regards E.P.F. and E.D.L.I. dues for the period on ... ... the arrears should be remitted on or before ... ...

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित ... ... सं० ... ... तक की बकाया राशि ... ... को या इससे पूर्व कराना होता है।

In case, the employees shown in Form 9 were the members of the establishment's private Provident Fund at the commencement of the Scheme, the accumulations in the Provident Fund standing to their credit should be remitted into the State Bank of India to the credit of the E.P.F. Account No. [illegible] and the triplicate copy of the challans sent to [illegible]

All the amount relationg to the Provident Fund accumulations lying invested in securities should be transferred to the E.P.F. within four months by having the securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, and the Securities thus transferred should be sent to this Office. A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed. Cash on hand in relation to the Accounts of the Private Provident Fund should be remitted whithin 30 days from the date of receipt of this communication failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

10. यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म सं० 9 में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा कराया जाय और चालान की तीन प्रतियां इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि से सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। निजि भविष्य निधि राशि के अंतरण के संबंध में दिए गए निर्देशों से संबंधित नोट सलग्न किया जा रहा है। निजि भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसान अदा करनी होगी।

The receipt of this letter alongwith its enclousures may kindly be acknowledged.

कृपया पत्र व अनुलग्नों की प्राप्ति रसीद भिजवाने को व्यवस्था करें।

23/12

(A.K. LAL)

Regional Provident Fund Commissioner

~~Bihar, Patna~~ Ranchi

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार

~~पटना~~ रांची